

पत्रिका

सिटीजन . 05

patrika.com

पत्रिका . ग्वालियर . मंगलवार . 10.01.2017

निर्देश

हाईकोर्ट परिसर में वाटर हारवेस्टिंग के लिए अब तक क्या हुआ बताएं

शासन को भी पेश करना है पालन प्रतिवेदन

प्रिसिपल रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

patrika.com

ग्वालियर. उच्च न्यायालय ने वाटर हारवेस्टिंग मामले में उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के प्रिसिपल रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि उच्च न्यायालय परिसर में वाटर हारवेस्टिंग के लिए अब तक क्या किया गया है, इसको रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश करें।

उन्होंने इस संबंध में कहा, त्वरित कार्रवाई की जाए। वहीं न्यायालय के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग तथा पीएचई सहित चार विभागों को पार्टी बनाया गया है। न्यायमूर्ति शील नागु तथा न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की युगलपीठ ने डॉ. राखी शर्मा द्वारा प्रस्तुत जनहित

याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। वर्ष 2016 में मानसून से पूर्व शहर में वाटर हारवेस्टिंग कराए जाने के लिए पेश जनहित याचिका पर जब भी सुनवाई हुई तब न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की जाती रही कि क्या मानसून के बाद वाटर हारवेस्टिंग की जाएगी? शहर की समस्या को देखते हुए न्यायालय ने इस याचिका को प्रमुखता से लिया है। सोमवार को हुई सुनवाई में युगलपीठ ने इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजू शर्मा के अनुसार चार विभागों को इस मामले में पार्टी बनाया गया है। इस मामले में शासन की ओर प्रतिपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा गया। इस पर न्यायालय ने कलेक्टर व निगम आयुक्त को अगली सुनवाई पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

जेयू और एमिटी की प्रशंसा



सुनवाई के दौरान न्यायालय में जवाही विश्वविद्यालय तथा एमिटी विश्वविद्यालय की अधिवक्ता अनुराधा सिंह ने बताया, उनके द्वारा सबसे पहले प्रतिपालन रिपोर्ट पेश की गई थी। इस पर न्यायालय ने दोनों विश्वविद्यालयों को इस कार्य के लिए प्रशंसा भी की।